# केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

**श्री साईं तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कॉलनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–801503**

**(वेबसाइट– www.csbc.bih.nic.in )**

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार सरकार में कक्षपाल के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना ।**

**आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–24.09.2015 (गुरूवार)**

## विज्ञापन संख्या–03/2015

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार सरकार में कक्षपाल के पद (वेतनमान 5200–20200+ग्रेड पे 1900) की रिक्तियों की संख्या–2649 (दो हजार छः सौ उनचास) है।**

**इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–03/2015 यहाँ जारी किया जा रहा है ।**

गृह विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–3297, दिनांक–19.06.2014 द्वारा निर्गत ''बिहार कक्षपाल सम्वर्ग नियमावली, 2014'' में वर्णित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती की प्रक्रिया की जायेगी । उक्त अधिसूचना पर्षद की वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

**सीधी नियुक्ति वाले पदों के लिए कक्षपाल के कुल पद बल के विरूद्ध 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, 25 प्रतिशत पद बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं शेष 25 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों से भरा जायेगा ।**

**अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :– दिनांक 01.01.2015 अथवा इसके पूर्व किसी भी राज्य शासन / केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / पर्षद से इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ।**

**अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2015 को):**

(1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष ।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष ।

(3) अनारक्षित (सामान्य), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 26 वर्ष ।

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए ।

गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी श्रेणी / कोटि / आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को पाँच वर्षो की छूट दी जाएगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी ।

गृह रक्षक अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आयु सीमा की कट–ऑफ तिथि 01 जनवरी 2015 होगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा निवृत्ति की कट–ऑफ तिथि भी 01 जनवरी 2015 होगी ।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी, गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक समेत के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि, सेवा निवृत्ति की तिथि, आदि के लिए कट–ऑफ तिथि 01 जनवरी 2015 निर्धारित की गयी है ।

अर्हता प्राप्त गृह रक्षक अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में रिक्तियाँ उसी आरक्षण कोटि के गैर गृह रक्षक / गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा लागू होगी ।

**सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया :–**

प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर शारीरिक जाँच–माप परीक्षण हेतु श्रेणी / कोटिवार रिक्ति के पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी । शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा । शारीरिक जाँच–माप परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों में मेधावार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी सूची नियुक्ति प्राधिकार (महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार

सेवाएँ, बिहार) को सौंप दी जायेगी । केन्द्रीय चयन पर्षद से योग्य अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात विहित प्रावधान के अधीन गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

यदि चिकित्सीय परीक्षण में कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार केन्द्रीय चयन पर्षद से आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों की मेधा सूची से नामों की अनुसंशा मांगी जायेगी तथा पर्षद से ऐसी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

**<u>लिखित प्रतियोगिता परीक्षा</u> :-**

लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं कक्षा के स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी । दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक देय होंगे । उत्तर-पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिनमें से एक प्रति कार्बन प्रति के रूप में होगी और यह प्रति चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखी जाएगी ।

सभी श्रेणी / कोटि यथा अनारक्षित (सामान्य) / आरक्षित / गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक आदि के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे एवं आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे ।

मेधा सूची, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर; एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले; एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच-माप परीक्षण में सम्मिलित होना होगा एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा परन्तु शारीरिक जाँच-माप परीक्षण के आधार पर कोई अंक देय नहीं होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

**<u>पाठ्यक्रम</u> –** लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाईट पर देखा जा सकता है तथा वहाँ से Download किया जा सकता है ।

**चिकित्सीय परीक्षण** – चिकित्सीय परीक्षण का मानक ''बिहार कक्षपाल सम्वर्ग नियमावली, 2014'' की कण्डिका–6.4 में वर्णित है ।

**आरक्षण :–** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

**ऊँचाई** –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरूषों एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 162 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गो की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

**सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए)** –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए –
बिना फुलाए – 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर – 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए –
बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर– 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

**<u>शारीरिक योग्यताएँ</u> –**

(1) **दौड़ –**

**<u>पुरूषों के लिए</u> –**

एक मील की दौड़ के लिए समय सीमा :–

6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)।

**<u>महिलाओं के लिए</u> –**

एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा :–

6 मिनट (अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी)।

(2) **<u>उँची कूद –</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पुरूषों के लिए** | – | न्यूनतम 4 | (चार) | फुट |
| **महिलाओं के लिए** | – | न्यूनतम 3 | (तीन) | फुट |

(3) **<u>लंबी कूद –</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पुरूषों के लिए** | – | न्यूनतम 12 | (बारह) | फुट |
| **महिलाओं के लिए** | – | न्यूनतम 9 | (नौ) | फुट |

(4) **<u>गोला फेंक –</u>**

**<u>पुरूषों के लिए</u>** – 16 पौंड का गोला

न्यूनतम 16 (सोलह) फुट फेंकना होगा ।

**<u>महिलाओं के लिए</u>** – 12 पौंड का गोला

न्यूनतम 10 (दस) फुट फेंकना होगा ।

**<u>रिक्ति</u> :–**

| **श्रेणी / कोटि** | | **पदों की संख्या** |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | – | 495 |
| अनुसूचित जनजाति | – | 24 |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | – | 661 |
| पिछड़ा वर्ग | – | 242 |
| पिछड़े वर्गो की महिलाएँ (3%) | – | 134 |
| अनारक्षित (सामान्य) | – | 1093 |
| **कुल योग** | – | **2649** |

**नोटः–** पिछड़े वर्गो की महिलाओं (3%) में सम्मिलित हैं : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यन्त पिछड़े वर्ग (EBC) तथा पिछड़े वर्ग (BC) की महिलाएँ।

**भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया :**

भूतपूर्व सैनिक तथा बिहार राज्य के गृह रक्षक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उपरोक्त प्रावधान के अनुसार उनकी लिखित परीक्षा ली जायेगी । लिखित परीक्षा के पश्चात रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी । उक्त सफल अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग जाँच, ऊँचाई एवं सीना की माप तथा प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं मिलान केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा किया जायेगा । तदोपरांत सफल अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकार (महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार) को सौंप दी जायेगी ।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा तथा चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

यदि चिकित्सीय परीक्षण में कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार केन्द्रीय चयन पर्षद से आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों की मेधा सूची से नामों की अनुसंशा मांगी जायेगी तथा पर्षद से ऐसी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

**ऑनलाइन आवेदन–पत्र :–** कक्षपाल के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । **दिनांक–06.08.2015 (गुरूवार) से ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी ।** विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट – www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति में आवेदन–पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

**अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 450/–(चार सौ पचास) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 200/–(दो सौ) रूपये निर्धारित किया गया है ।**

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से Online Transaction से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charges) एवं इस पर सर्विस टैक्स (Service Tax) के रूप में अलग से उपयुक्त राशि ली जायेगी । उपरोक्त सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

**<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :–</u>**

**ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।**

**ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर Home (Prisons) Dept. के Tab पर क्लिक करेंगे । इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।**

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल लिया जाता है तथा इन दोनों के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ भेजी जाती हैं । मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हैं । **अतः पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल अनिवार्य है ।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) को अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना है जो अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो इस स्थिति में अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में शुल्क के भुगतान संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) पर दी जायेंगी ।

पंजीकरण करने के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के मूल्य एवं (प्रोसेसिंग चार्ज + Service Tax) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । तत्पश्चात अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर एक SMS भेजा जायेगा जिसमें उनके द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकरण किये जाने की सूचना के साथ पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा जिसका प्रयोग आवेदन–पत्र भरने के आगे के चरणों में किया जायेगा ।

एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल नम्बर अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा ।

**एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।**

आवेदन–पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना भरा हुआ आवेदन–पत्र A/4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) करना होगा । प्रिंट किये गये आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपना हाल का (एक माह के अंदर का) खींचा हुआ रंगीन फोटो चिपकायेंगे । आवेदन–पत्र पर मुद्रित 'घोषणा' के नीचे दिये गये दो बॉक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर क्रमशः अँग्रेज़ी एवं हिन्दी में करेंगे । तत्पश्चात फोटो लगे एवं

हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र को स्कैन करने के उपरान्त अभ्यर्थी वेबसाईट पर अपलोड (Upload) कर देंगे । सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर SMS भेज कर इसकी सूचना दी जायेगी । इसके साथ ही आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी ।

**आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक–01.01.2015 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।**

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन–पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे । आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरें । प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

गैर गृह रक्षक कोटि के आवेदक यदि आवेदन–पत्र में स्वयं को गृह रक्षक कोटि का घोषित करेंगे तो इसका पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। इसी प्रकार आवेदन–पत्र में यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के आवेदक स्वयं को पिछड़ा वर्ग (BC) या पिछड़ा वर्ग (BC) के आवेदक स्वयं को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति (SC) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जाति (SC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी **कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की **वेबसाइट–** **www.csbc.bih.nic.in** एवं बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

**महत्वपूर्ण निर्देश :–**

**भरे गये आवेदन–पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।**

**परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र (फोटो सहित) की मूल/छायाप्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।**

**ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि :–**

**ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि–24.09.2015 (गुरूवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा ।**

आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन–पत्रों के जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश–पत्र डाक द्वारा निर्गत किया जायेगा । लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विधिवत सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से यथासमय दी जायेगी ।

**अध्यक्ष**

**केन्द्रीय चयन पर्षद,**

**बिहार, पटना ।**